सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 27/2016 2017/00202

श्री महमूद अली, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं, बीकानेर

प्रार्थी

–: बनाम :–

केदारनाथ पुत्र भंवरलाल अग्रवाल (विक्रेता) निवासी वार्ड नं. 17 मोहता चौक, बीकानेर (विक्रेता) मैसर्स श्री गणेश भुजियावाला स्टेशन रोड़ बीकानेर

अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी पक्ष – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. अप्रार्थी पक्ष – अप्रार्थी स्वयं

निर्णय दिनांक 27.03.2018

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि श्री गोपाल कृष्ण शर्मा, तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी (सेवानिवृत) ने दिनांक 28.08.2015 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स श्री गणेश भुजियावाला स्टेशन रोड़ बीकानेर (विक्रेता)– प्रो. केदारनाथ पुत्र भंवरलाल अग्रवाल (विक्रेता) निवासी वार्ड नं. 17 मोहता चौक, बीकानेर के यहां दुकान का निरीक्षण करने पर 20 नग प्रत्येक 1 किलोग्राम पैक्ड रसगुल्ला (राधे–राधे) आम जनता को विक्रय हेतु रखी हुई थी। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त पैक रसगुल्ला (राधे–राधे) में से प्रत्येक 1 किलोग्राम की चार पैक्ड रसगुल्ला (राधे–राधे) नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 240/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर श्री गोपालकृष्ण शर्मा, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर चार सीलबन्द डिब्बों में से एक सीलबन्द डिब्बा मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS/2305/Act/2015/1700 दिनांक 02.11.2015 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें रसगुल्ला (राधे–राधे)मिसब्राण्ड पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थी द्वारा रसगुल्ला (राधे–राधे)मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आकर जबाब प्रस्तुत किया। तदरन्तर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे बहस में निवेदन किया कि तत्कालिन खासुअ ने इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से रसगुल्ला (राधे–राधे)का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of "Rasgulla" (Radhy-Radhy) bearing Code No. and Sr. No. J-986 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and standards Act. 2006 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां रसगुल्ला (राधे–राधे)मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि अप्रार्थी की मैसर्स श्री गणेश भुजियावाला स्टेशन रोड़ बीकानेर के नाम एक छोटी सी फर्म है। उक्त फर्म में सारा सामानं अन्य से खरीद कर ही विक्रय करते है। फर्म रसगुल्ला राधे–राधे ब्राण्ड का निर्माण नहीं करते है। उक्त ब्राण्ड में कुछ कमियां पाई गई है तो फर्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। रसगुल्ला बनाने वाली फर्म की है। अन्त में अप्रार्थी ने निवेदन किंया कि जांच रिपोर्ट में मिसब्राण्ड पाया गया जो जनस्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है इसलिए अप्रार्थी के प्रति नरमी का रूप अपनाते हुवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज कर दोषमुक्त करने का आदेश फरमावें।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा साक्ष्य आधारित खण्डन नहीं किया है । पत्रावली में Food Analyst, State Central Public Health Laboratory, Jaipur की रिपोर्ट क्रमांक LS/2305/Act/ 2015/1700 दिनांक 02.11.2015 संलग्न है। इस रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां रसगुल्ला (राधे–राधे) The sample of "Rasgulla" (Radhy-Radhy) bearing Code No. and Sr. No. J-986 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i) of food safety and

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

standards Act. 2006 पाया गया है। जो निर्धारित मानक के अनुरूप नहीं पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां रसगुल्ला (राधे–राधे) मिसब्राण्ड स्तर (मिथ्या छाप वाली) का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये उन पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 के तहत रू. 25,000/– अखरे पचीस हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है और अप्रार्थी पक्ष को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें ।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की एक प्रति अभिहित अधिकारी एवं संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, बीकानेर को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(यशवन्त भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर, बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner